न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी कुशल कुमार कोठारी आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या :– 06/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय जोधपुर		1. भवानीसिंह पुत्र श्री मानवेन्द्रसिंह जाति–राजपूत, गौत्र चौहान उम्र–25 वर्ष, निवासी–मारवाड़ जंक्शन जिला–पाली

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियंत्रण) आदेश 2000

उपस्थितिः– 1. श्री ओमचन्द हर्ष विभागीय पेरोकार (प्रार्थी पक्ष) उपस्थित।
2. अप्रार्थी पक्ष अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 06.09.2017

प्रस्तुत प्रकरण श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के आदेश क्रमांक 113 दिनांक 28.01.2016 द्वारा प्रकरण संख्या 09/2014 सरकार बनाम भवानीसिंह स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पूर्व में अप्रार्थी भवानीसिंह पुत्र मानवेन्द्रसिंह को जरिये नोटिस तलब किया गया किन्तु नोटिस पर रिपोर्ट प्राप्त हुई कि इस नाम का कोई व्यक्ति मारवाड़ जंक्शन जिला पाली में नही रहता है। अप्रार्थी भवानीसिंह पुत्र मानवेन्द्रसिंह का नोटिस तामिल नहीं होने पर इस न्यायालय द्वारा कार्यालय हाजा, जिला रसद कार्यालय प्रंथम जोधपुर, आरक्षी केन्द्र रातानाडा थाना रातानाडा, के नोटिस बोर्ड व अभयगढ स्कीम केन्द्रीय विद्यालय प्रथम के सदृश्य स्थान पर उज्रदार नोटिस चस्पा किये गये, किन्तु कोई उज्रदारी के रूप में उपस्थित नही हुआ।

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय जोधपुर की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित द्रवित

पेट्रोलियम गैस (वितरण व प्रदाय विनियमन) आदेश, 2000 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी भवानीसिंह पुत्र श्री मानवेन्द्रसिंह निवासी मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के पेश किया जिसमें व्यक्त किया कि दिनांक 28.09.2014 को जिला रसद अधिकारी जोधपुर के निर्देशानुसार रसोई गैस की कालाबाजारी व घरेलू गैस का वाणिज्यक प्रयोग में लेने की शिकायत पर प्रवर्तन निरीक्षक भावना दयाल मौके (केन्द्रीय विद्यालय प्रथम के सामने अभयगढ स्कीम के सामने खाली प्लॉट जिसमें चारदीवारी मय लोहे का गेट है) पर पहुंची। प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा मौका निरीक्षण अप्रार्थी भवानीसिंह एवं पुलिस जाब्ता की उपस्थिति में किया गया। मौके पर चद्दर व कपड़े का बना हुआ छपरानुमा स्थान पर 5 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेण्डर 07, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेण्डर 08, दो मोटर मय वॉल तथा एक 19.0 का वाणिज्यक सिलेण्डर, एक बांसुरी, दो निपल, माप तौल हेतु बाट तराजू आदि पाये गये। अप्रार्थी से पूछताछ करने पर बताया कि वीर शिव गैस एजेन्सी भाटी चौराहा रातानाडा के हॉकर प्रकाशलाल जाति माली निवासी सुभाष चौक रातानाडा के यहॉ कार्यरत है वहीं से तथा अन्य स्थान से सिलेण्डर लाकर बड़ी टंकी से छोटी टंकी में गैस रिफिल करना बताया। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से गैस रिफलिंग का कार्य किया जाता है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 के उपाबंध 3(i)(b)(c) व 7 (c) का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने से मौके पर पाये गये 5 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेण्डर 07, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेण्डर 08, दो मोटर मय वॉल तथा एक 19.0 का वाणिज्यक सिलेण्डर, एक बांसुरी, दो निपल, माप तौल बाट तराजू को जब्त किया गया, को राज्यसात् करने की प्रार्थना की गयी।

अप्रार्थी पक्ष या अन्य उज्रदारान उपस्थित नहीं होने पर विभागीय पेरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से बहस करते हुए विभागीय पेरोकार श्री ओमचन्द हर्ष प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय जोधपुर ने बताया कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग में करते हुए पाया गया है, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों व अन्य सामग्री को राज्यसात करने का निवेदन किया गया है।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से 05

किलोग्राम वाले घरेलू सिलेण्डर 07, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेण्डर 08, दो मोटर मय वॉल तथा एक 19.0 का वाणिज्यक सिलेण्डर, एक बांसुरी, दो निपल, माप तौल हेतु बाट तराजू आदि जब्त किये जो अवैध रूप से गैस रिफलिंग का कार्य किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर रिफिलिंग करने व उक्त गैस सिलेण्डरों व अन्य सामग्री की जब्ती से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलु गैस का उपयोग व्यावसायिक कार्य में लिया जा रहा था। जिसके कारण हम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी आदेश एल.पी.जी. (रेगुलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्युशन) ऑर्डर, 2000 के उपाबंध 3(i)(b)(c) व 7 (c) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः जब्तसुदा उक्त घरेलु व वाणिज्यक गैस सिलेण्डरों व अन्य सामग्री को राज्यसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त जब्तसुदा 05 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेण्डर 07, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेण्डर 08, दो मोटर मय वॉल तथा एक 19.0 का वाणिज्यक सिलेण्डर, एक बांसुरी, दो निपल, माप तौल हेतु बाट तराजू के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निस्तारण करे तथा इनसे प्राप्त राशि राज्यकोष में जमा कराये। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कुशल कुमार कोठारी)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर